तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
2.9.24	पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अप्रार्थीगण द्वारा ईकबालिया जबाब दावा पेश किया है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है– अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के के खसरा नम्बर 1830 रकबा 0.2400 हैक्टर कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.2400 हैक्टर की आयी हुई स्थित है। जिस भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण पिता टींगडिया पुत्र डुंगा का नाम इन्द्राज सुदा है। राजस्व रेकर्ड में सद्भाविक भूल वश व बिना दस्तावेज का अवलोकन किये वक्त इन्द्राज वादी के पिता का नाम सही एवं दस्तावेजी नाम लाबुराम इन्द्राज न कर वादी के के घर व लाड प्यार का नाम टिंगडिया इन्द्राज कर दिया गया । टिंगडिया व लाबुराम दोनो एक ही व्यक्ति हैं अलग– अलग व्यक्ति नहीं है। वादीगण के अलावा अन्य कोई उतराधिकारी वारिसान नहीं है। वादीगण के पिता के मृत्यु प्रमाण – पत्र में भी वादीगण के पिता का नाम लाबुराम अंकित है वादीगण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात से वादीगण का ही उक्त भूमि पर बतौर मालिक की हैसियत से कब्जा चला आ रहा है। राजस्व रेकड में गलत नाम अंकित होने से प्रार्थी को बैक लॉन व अन्य सरकारी योजनाओं में लाभ नही मिलता है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1830 रकबा 0.2400 हैक्टर की कृषि भूमि में वादीगण के पिता का नाम टिंगडिया के स्थान पर लाबुराम रेकर्ड दुरुस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा ईकबालिया जबाबदावा व जॉच रिपोर्ट पेश कर माफिक ईश्तदुआ अनुसार नाम दुरुस्त किये जाने में कोई आपति नही होना अंकित किया है। –: <u>आदेश</u> :– अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1830 एकबा 0.2400 हैक्टर में गलत इन्द्राज टिगंडिया पुत्र डुंगा के स्थान पर लाबुराम पुत्र डुंगाराम नाम घोषित किया जाता है। तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जोन के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय डिक्री की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय परिसर, सोजत में दिनांक 28.09.2024 को पेश हों उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)	